न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004162015</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—285/15</u> <u>संस्थापित दिनांक—30.09.15</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन विरुद्ध 01—कृष्णपाल पुत्र सुखपालसिंह परमार आयु 20 वर्ष 02—तेजभानसिंह पुत्र सुखपालसिंह परमार आयु 18 वर्ष निवासीगण पहाडप्र किरोया, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

आरोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 01.02.2018 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294,456,323,506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 323/34,294,323 दो शीर्ष अथवा 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मीनूबाई ने दिनांक 19.06.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 18.06.15 को फरियादी के घर ग्राम पहाडपुर खिरिया में आरोपीगण आए तथा उसके साथ गाली गलोच की एवं मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध अपराध कमांक 207/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 294,323,456,506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456,294,323 दो शीर्ष, अथवा 323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.06.15 को रात करीव 08:30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम पहाडपुर किर्राया में फरियादिया मीनूबाई के घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रछन्न गृह—अतिचार कारित किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मीनूबाई, अ.सा.2 सौरभ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मीनूबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरोपीगण घर के बाहर उसके लड़के सौरम के साथ झूमा—झट़की कर रहे थे फिर उसने बीचबचाव किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी तथा इस बात से इंकार किया है कि घटना के दिन आरोपीगण उसके घर के अंदर आ गये थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.2 सौरम ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनाक को घर के बाहर आरोपीगण से उनकी झूमा झट़की हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरोपीगण उसके घर के अंदर नहीं आए थे। उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनाक को आरोपीगण फरियादी के घर में घुस आए थे तथा उनके द्वारा रात्रि प्रछन्न गृहअतिचार कारित किया गया।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)